



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 362]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 1992/भाद्र 10, 1914

No. 362] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 1992/BHADRA 10, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1992

सा.का.नि. 749(अ).—महापत्तन व्याम अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उप धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के मंत्रायक जिलाधीश, टूटीकोरिन के स्थान पर सीमा-शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए टूटीकोरिन पत्तन पर केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क, टूटीकोरिन के उप जिलाधीश को नियुक्त करती है तथा भारत सरकार के जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 189(ड.), दिनांक 27-3-1991 में निम्न-लिखित संशोधन करती है, यथा :—

उक्त अधिसूचना के क्रम सं. 4 पर 'केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के सहायक जिलाधीश टूटीकोरिन, के स्थान पर 'केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क, उप जिलाधीश टूटीकोरिन' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फाइल सं. पी टी-18011/2/90-पी टी]

अशोक जोशी, मंत्रायक सचिव,

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 1992

G.S.R. 749(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) read with sub-section (6) of the Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963

(38 of 1963), the Central Government hereby appoints Deputy Collector of Central Excise and Customs, Tuticorin as a Trustee on the port of Tuticorin to represent Customs Department vice Assistant Collector of Central Excise and Customs, Tuticorin and makes the following amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. GSR 189(E) dated 27-3-1991, namely :—

In the said notification serial No. 4, for the words "Assistant Collector of Central Excise and Customs, Tuticorin", the words "Deputy Collector of Central Excise and Customs, Tuticorin" shall be substituted.

[F. No. PT-18011/290-PT]

ASHOK JOSHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1992

सा.का.नि. 750(अ)—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार राज्य व्यापार निगम, कांडला के मुख्य वित्त प्रबंधक को, राज्य व्यापार निगम (एस टी सी) कांडला के प्रमुख विपणन प्रबंधक के स्थान पर कांडला पत्तन पर राज्य व्यापार निगम (एस टी सी) का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त करती है तथा भारत सरकार के जल मूल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 31-3-92 की

अधिसूचना सं. सा. का. नि. 387(क) में निम्नलिखित संशोधन करनी है, यथा।

उक्त अधिसूचना के क्रम सं. 9 पर "प्रमुख विपणन प्रबंधक राज्य व्यापार निगम, कांडला" के स्थान पर "प्रमुख वित्त प्रबंधक, राज्य व्यापार निगम, कांडला" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फाइल सं. पी टी-18011/6/91-पी टी]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 1992

G.S.R. 750(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of the Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Chief Finance Manager, STC, Kandla, as a Trustee on the Port of Kandla to represent State Trading Corporation (STC), vice Chief Marketing Manager, State Trading Corporation (STC), Kandla and makes the following amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 387(E) dated 31-3-92, namely :—

In the said notification against serial No. 9, for the words "Chief Marketing Manager, State Trading Corporation, Kandla" the words "Chief Finance Manager, State Trading Corporation, Kandla" shall be substituted

[F. No. PT-18011/6/91-PT]

ASHOK JOSHI, Jt. Secy.